



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129488

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-12342 वर्ष 2026

आदित्य ठाकुर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: हेमलता कुशवाहा, मयंक यादव
विपक्षी के अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल

- श्री रमाकान्त मौर्य, जो आवेदक की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती हेमलता कुशवाहा की ओर से अस्थायी रूप से उपस्थित हुए, को सुना। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
- वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र थाना-चन्दौसी, जनपद-सम्भल में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-48 वर्ष 2026, धारा 191(2), 109(1), 352, 351(3), 3(5), बी.एन.एस. के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के साथ तीन अन्य नामजद अभियुक्तों तथा दो अज्ञात व्यक्तियों पर शराब की बोतलों से प्रहार कर घायल को गंभीर चोटें पहुँचाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध केवल सामान्य रूप से मारपीट करने की भूमिका आरोपित की गई है। घायल के कथन में सिर पर चोट पहुँचाने की विशिष्ट भूमिका आवेदक तथा सह-अभियुक्त कपिल शर्मा को आरोपित की गई है। घायल के चिकित्सीय परीक्षण (मेडिको-लीगल परीक्षण) में पाई गई सिर की चोटों के संबंध में चिकित्सक द्वारा उन्हें जीवन के लिए संकटपूर्ण नहीं माना गया है। सह-अभियुक्त लौकेश मौर्य तथा अक्षय मौर्य को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-10419 वर्ष 2026 तथा 9953 वर्ष 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला भी उक्त सह-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्तों के समान आधार पर है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदक दिनांक 17.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि घायल के सिर पर चोट पहुँचाने की विशिष्ट भूमिका आवेदक को आरोपित की गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-435 वर्ष 2025, धारा 115(2), 351(3), बी.एन.एस., थाना-चन्दौसी, जनपद-सम्भल का एक आपराधिक इतिहास भी विद्यमान है। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि आवेदक को आरोपित सिर की चोट से कोई आंतरिक क्षति नहीं हुई तथा चिकित्सक द्वारा भी उक्त चोट को जीवन के लिए संकटपूर्ण नहीं बताया गया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।

6. आवेदक दिनांक 17.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है। उसे पूर्वदोषसिद्ध नहीं बताया गया है। उसके विरुद्ध दर्शाए गए आपराधिक इतिहास वाले प्रकरण में अधिकतम सात वर्ष के कारावास का दण्ड निर्धारित है। सह-अभियुक्त लौकेश मौर्य तथा अक्षय मौर्य को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान प्रकरण में आरोप-पत्र पूर्व में ही न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। घायल के शरीर पर पाई गई किसी भी चोट को चिकित्सक द्वारा जीवन के लिए संकटपूर्ण नहीं माना गया है।

7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए *प्रथमदृष्ट्या* जमानत प्रदान किए जाने का मामला स्थापित होता है।

8. परिणामस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. अभियुक्त-आवेदक **आदित्य ठाकुर** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विचारण न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के अधियाचन के साथ सत्यापित की गई हो कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी, के आधार पर रिहा किया जाएगा।

12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत रिहाई आदेश को बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

13. उपर्युक्त टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से की गई हैं तथा इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर न्यायालय की किसी राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

दिनांक : 29 जून, 2026

कृष्णा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।